**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी**
**खाजूवाला जिला बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.**
**राजस्व वादपत्र संख्या :– 2026/50**

01. प्रेम चौधरी पुत्री पीथाराम जाति जाट निवासी अम्बाया तहः डीडवाना जिला नागौर हाल आबाद चक 11 एसएसएम तहः खाजूवाला जिला बीकानेर

........वादी

**बनाम**

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... प्रतिवादी

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट**

**निर्णय** **दिनांक :–13.03.26**

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादीया के नाम चक 11 एसएसएम मु0नं0 8/2 व 8/51 में9.6354 हैक्टर कृषि भूमि है जो मुझे विरासत में मेरे पिता से मिली थी, जिसमें मेरे सह हिस्सेदारों द्वारा अपना हक मेरे पक्ष में हक त्याग कर दिया था। उक्त भूमि का विरासत नामान्तरण दर्ज किया उस समय वादीया का नाम प्रेमदेवी पुत्री पीथाराम दर्ज कर दिया गया जबकि वादीया के तमाम दस्तावेज प्रेम चौधरी के नाम के है जिसके कारण मुझे केसीसी बनवाने व अन्य राजकीय लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसकारण वादीया अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रेमदेवी पुत्री पीथाराम के स्थान पर प्रेम चौधरी पुत्री पीथाराम शुद्ध/दुरूस्त करवाना चाहती है। वादीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर वादीया का राजस्व रिकॉर्ड में नाम प्रेमदेवी पुत्री पीथाराम के स्थान पर प्रेम चौधरी पुत्री पीथाराम दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया/वादीया ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, पेनकार्ड, शपथपत्र स्वंय व भाई का शपथपत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट में लिखा है कि प्रार्थीया के दस्तावेज में नाम प्रेम चौधरी है जिसके आधार पर नाम शुद्धि करवाना चाहती है। प्रेम चौधरी व प्रेमदेवी दोनों इन्ही के नाम है। एक ही महिला है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीया/वादीया अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थीया/वादीया का प्रार्थनापत्र/वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादीया/प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 11 एसएसएम मु0नं0 8/2 व 8/51 में 9.6354 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम प्रेमदेवी की प्रेम चौधरी संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रेम देवी नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रेम देवी नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम प्रेमदेवी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
**(आर.ए.एस.)**
**उपखण्ड अधिकारी,**
**(खाजूवाला)**